इसे बेवसाईट www.govtpress.mp.gov.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेशा राजपन्न

## ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 311]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 नवम्बर 2025-कार्तिक 23, शक 1947

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2025

क्र. 11128—194—इक्कीस—अ (प्रा.)— मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक ८ नवम्बर 2025 को राष्ट्रपति महोदया की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. गुप्ता, अतिरिक्त सचिव.

## 

## कारखाना (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २०२५

## विषय-सूची

#### धाराएं :

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ
- २. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १६४८ का संख्यांक ६३ का संशोधन.
- ३. धारा ५४ का संशोधन.
- ४. धारा ५५ का संशोधन.
- ५. धारा ५६ का संशोधन.
- ६. धारा ५६ का संशोधन.
- ७. धारा ६५ का संशोधन.

#### मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २३ सन् २०२५

## कारखाना (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २०२५

[ दिनांक ८ नवम्बर, २०२५ को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १४ नवम्बर, २०२५ को प्रथमबार प्रकाशित की गई. ]

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में, कारखाना अधिनियम, १६४८ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कारखाना (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २०२५ है.

संक्षिप्त नाम और प्रारंभः

- (२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
- २. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में, कारखाना अधिनियम, १६४८ (१६४८ का ६३) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट हैं) को इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १६४८ का संख्यांक ६३ का संशोधन

३. मूल अधिनियम की धारा ५४ में,-

धारा ५४ का संशोधनः

- (एक) प्रारंभिक पैरा को उपधारा (१) के रूप में क्रमांकित किया जाए;
- (दो) इस प्रकार क्रमांकित उपधारा (१) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा जोड़ी जाए, अर्थात्ः-
  - ''(२) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, धारा ५१ में यथा विनिर्दिष्ट किसी सप्ताह में अधिकतंम अड़तालीस घंटों के अध्यधीन कारखानों के किसी भी समूह या वर्ग या प्रकार के संबंध में इस धारा में किसी दिन विश्राम के अंतराल सिहत बारह घंटे तक ऐसी शर्तों पर जैसी वह समीचीन समझे, ऐसे कार्य हेतु ऐसे कर्मकार की लिखित सहमित के अध्यधीन बढ़ा सकेगी. तथापि सप्ताह में कार्य के अड़तालीस घंटे पूर्ण होने के पश्चात्, सप्ताह के शेष दिन ऐसे कर्मकार के लिए सवैतिनिक अवकाश होंगे.".
- ४. मूल अधिनियम की धारा ५५ में, उपधारा (२) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा जोड़ी जाए, अर्थात्ः-

षारा ५५ का संशोधनः

- ''(३) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, कारखानों के किसी भी समूह या वर्ग या प्रकार के संबंध में, ऐसी शर्तों पर, जैसी वह समीचीन समझे, किसी कर्मकार के कार्य के घंटों की कुल संख्या को, बिना किसी अंतराल के छह घंटे तक बढ़ा सकेगी.
- ५. मूल अधिनियम की धारा ५६ में,-

षारा ५६ का संशोधनः

- (एक) प्रारंभिक पैरा को उपधारा (१) के रूप में क्रमांकित किया जाए;
- (दो) इस प्रकार क्रमांकित उपधारा (१) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा जोड़ी जाए, अर्थात्:-
  - "(२) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, कारखानों के किसी भी समूह या वर्ग या प्रकार के संबंध में, ऐसी शर्तों पर जैसी वह समीचीन समझे, विश्राम के अंतराल सहित विस्तृति बारह घंटे तक बढ़ा सकेगी.".
- ६. मूल अधिनियम की धारा ५६ में, उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्ः- **धारा ५६ का संशोधन.** ''(१) जहाँ कोई कर्मकार किसी कारखाने में,-
  - (क) किसी सप्ताह में अड़तालीस घंटे से अधिक कार्य करता है; या
  - (ख) जब सप्ताह में छह दिन कार्य करता हो तो, किसी भी दिन नौ घंटे से अधिक; या

- (ग) जब सप्ताह में पांच दिन कार्य करता हो तो, किसी भी दिन दस घंटे से अधिक; या
- (घ) जब सप्ताह में चार दिन कार्य करता हो तो, किसी भी दिन साढ़े ग्यारह घंटे से अधिक; या
- (ड.) सवैतनिक अवकाश दिवस में कार्य करता हो,

वहाँ वह अतिकाल कार्य के संबंध में अपनी मजदूरी के साधारण दर से दोगुनी दर पर मजदूरी पाने का हकदार होगा.".

धारा ६५ का संशोधन.

- ७. मूल अधिनियम की धारा ६५ में, उपधारा (३) में,-
  - (एक) खंड (क) में, शब्द "पुरूष" का लोप किया जाए;
  - (दो) खंड (क) के उपखंड (चार) में, शब्द "एक सौ पच्चीस" के स्थान पर, शब्द "एक सौ चवालीस" स्थापित किए जाएं:
  - (तीन) खंड (क) के उपखंड (पांच) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड जोड़ा जाए, अर्थात:-
    - ''(छह) किसी कर्मकार को अतिकाल कार्य करना, ऐसे कार्य हेतु, ऐसे कर्मकार की लिखित सहमति के अध्यधीन अपेक्षित होगा.''.

#### भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2025

क्र. 11128—194—इक्कीस—अ (प्रा.).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, कारखाना (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2025 (क्रमांक 23 सन् 2025) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. गुप्ता, अतिरिक्त सचिव.

#### MADHYA PRADESH ACT

NO. 23 of 2025

# THE FACTORIES (MADHYA PRADESH AMENDMENT) ACT, 2025

#### TABLE OF CONTENTS

#### Sections:

- 1. Short title and commencement.
- 2. Amendment of Central Act No. LXIII of 1948 in its application to the State of Madhya Pradesh.
- 3. Amendment of Section 54.
- 4. Amendment of Section 55.
- 5. Amendment of Section 56.
- 6. Amendment of Section 59.
- 7. Amendment of Section 65.

#### MADHYA PRADESH ACT

NO. 23 of 2025

#### THE FACTORIES (MADHYA PRADESH AMENDMENT) ACT, 2025

Received the assent of the President on the 8th November, 2025; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 14th November, 2025 ]

An Act further to amend the Factories Act, 1948 in its application to the State of Madhya Pradesh.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy-sixth year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Factories (Madhya Pradesh Amendment) Act, 2025.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

commencement.

2. The Factories Act, 1948 (LXIII of 1948) (hereinafter referred to as the principal Act), shall in its application to the State of Madhya Pradesh be amended in the manner hereinafter provided.

Amendment of Central Act No. LXIII of 1948 in its application to the State of Madhya Pradesh.

Short title and

3. In Section 54 of the principal Act,-

Amendment of Section 54.

- the opening paragraph shall be numbered as sub-section (1); (i)
- after sub-section (1) so numbered, the following sub-section shall be (ii)added, namely:-
  - The State Government may, by notification in the Official Gazette, extend "(2)the daily maximum hours of work specified in this section up to twelve hours inclusive of interval for rest in any day, subject to a maximum of forty eight hours in a week, as specified in Section 51 in respect of any group or class or description of factories on such conditions, as it may deem expedient, subject to the written consent of such worker for such work. However, the remaining days of the week, after completion of forty-eight hours of work in the weck, shall be paid holidays for such worker.".

4. In Section 55 of the principal Act, after sub-section (2), the following sub-section shall be added, namely:-

Amendment of Section 55.

- The State Government may, by notification extend the total number of hours "(3) of work of a worker without an interval to six hours in respect of any group or class or description of factories on such conditions, as it may deem expedient.".
- 5. In Section 56 of the principal Act,-

the opening paragraph shall be numbered as sub-section (1); (i)

- after sub-section (1) so numbered, the following sub-section shall be (ii) added, namely:-
  - "(2) The State Government may, by notification in the Official Gazette, increase the spread over up to twelve hours inclusive of intervals for rest in respect of any group or class or description of factories on such conditions, as it may deem expedient.".

Amendment of Section 56.

## Amendment of Section 59.

- 6. In Section 59 of the principal Act, for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:-
  - "(1) Where a worker works in any factory,-
    - (a) for more than forty eight hours in a week; or
    - (b) for more than nine hours in any day when working for six days in a week; or
    - (c) for more than ten hours in any day when working for five days in a week; or
    - (d) for more than eleven and a half hours in any day when working for four days in a week; or
    - (e) works on paid holidays,

he shall, in respect of overtime work, be entitled to wages at the rate of twice his ordinary rate of wages.".

## Amendment of Section 65.

- 7. In Section 65 of the principal Act, în sub-section (3),-
  - (i) in clause (a), the word "male" shall be deleted;
  - (ii) in sub-clause (iv) of clause (a), for the words "one hundred and twenty five", the words "one hundred and forty four" shall be substituted;
  - (iii) after sub-clause (v) of clause (a), the following sub-clause shall be added, namely:-
    - "(vi) a worker shall be required to work overtime subject to the written consent of such worker for such work.".